GRPI-211-6L-11-94 V-190/CR.J.(e)

SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 0	R 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898
in the court of	Class
Case No348/2017	Complaint or report made on
Name and address of the Complainant	शा0पु0गोहद चौराहा बनाम लोकेन्द्रसिंह
A TO	
Name, parentage, caste and address of accused	
16 1	

1. लोकेन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह जादौन उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम जैतपुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 11/11/17 के 17:30 बजे से 17:50 बजे के मध्य स्थान ग्राम जैतपुरा की पुलिया के पास थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 17 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को अपने आधिपत्य में रखा जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examiination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The Offence proved, if any and in case cluse(d),clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(आज दिनांक 07.12.2017 को घोषित)

- आरोपी / गण के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अपराध के आरोप हैं। 1.
- आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
- आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी / गण को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है एवं आरोपी/आरोपीगण को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1700 / – रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपी / आरोपीगण को पांच दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- प्रकरण में जब्तशुदा 17 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा विधिवत निराकरण हेतु जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

स्थान- गोहद दिनांक- 07.12.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी BIST SUNTAINED गोहद जिला भिण्ड